

[2023] 10 एस सी आर 427:2023 आई. एन. एस. सी 567

ए.

ओम प्रकाश बनर्जी बनाम।

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य। (2023 की सिविल अपील संख्या 4210) 19 मई, 2023

बी.

[कृष्णा मुरारी और संजय करोल, जे. जे.]

सेवा कानून-सेवा का नियमितकरण-अस्वीकार-आयोजित:अपीलार्थी की सेवाओं का गैर-नियमित होना कानून के समक्ष समानता और राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जैसा कि अनुच्छेद 14 और 16 (1) के तहत निहित है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी मांग करते हैं कि अपीलार्थी को सेवाओं के नियमित होने के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जब उसके समान रूप से रखे गए साथी कर्मचारियों को उक्त लाभ दिया गया था-अपीलार्थी 1991 से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ मजदूरी और लाभ वापस प्राप्त करने का हकदार था-उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त करना दिया गया-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,16-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

सी.

डी.

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी **(2006) 4 एससीसी**

1 :[2006] 3 एस. सी. आर. 953-लागू नहीं होता है।

ई.

यूपी एसईबी बनाम पूरन चंद्र पांडे **(2007) 11 एससीसी**

92 :[2007] 10 एस. सी. आर. 920-पर निर्भर।

सुरजीत सिंह साहनी बनाम यू. पी. राज्य और अन्य। **2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 249;** भारत संघ बनाम वर्तक श्रम संघ

(2011) 4 एससीसी 200:[2011] 4 एस. सी. आर. 509-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

एफ.

[2006] 3 एस. सी. आर. 953 अप्रयोज्य पैरा **16 [2007] 10 एस. सी. आर. 920** पर निर्भर था

पैरा **16 [2011] 4 एस. सी. आर. 509** पैरा **20** में निर्दिष्ट है।

जी.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील No.4210।

2018 के एम. ए. टी. No.611 में 2018 के सी. ए. एन. No.10038 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.12.2019 के निर्णय और आदेश से।

एच.

427

428

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

सूरजदीप्ता सेठ, अजीत शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री आस्था शर्मा, श्रीसत्य मोहंती, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियाणानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, भानु मिश्रा, देवव्रत सिंह, सुश्री मुस्कान सुराना, समीर कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील 2018 के एम. ए. टी. संख्या 611 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश (जिसे इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) और 2017 की रिट याचिका संख्या 31399 (डब्ल्यू) में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक (आई. डी. 2) के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर सी. ए. एन. संख्या (आई. डी. 3) के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें सेवा को नियमित करने की मांग की गई है। 3. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर 2018 की एम. ए. टी. संख्या 611 और सी. ए. एन. संख्या 10038/2018 को खारिज कर दिया।

सी.

डी.

संक्षिप्त तथ्यः

4. वर्तमान मामले में अपीलार्थी 1991 से प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका में एक आकस्मिक कर्मचारी था। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 18.04.1991 पर, यहाँ अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका द्वारा एक आकस्मिक कार्यकर्ता @Rs.25 के रूप में नियुक्त किया गया था-दैनिक वेतन के आधार पर, नगर निगम कार्यालय के इंजीनियरिंग अनुभाग की सहायता के लिए। इससे पहले उन्होंने क्रमशः 1981 और 1991 की जनगणना में गणनाकर्ता के रूप में काम किया था। 14.06.1996 पर, अपीलार्थी को Rs.1000-प्रति माह के समेकित वेतन पर परीक्षा पर 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। आई. डी. 3 पर, स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम बंगाल ने एक पत्र जारी किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आई. डी. 2 दिनांकित आदेश के अनुसार, आकस्मिक श्रमिक जो आई. डी. 1 तक विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे और अभी भी जारी हैं, वे संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अनुमोदित कर्मचारी पैटर्न के दायरे में और पार्षदों के बोर्ड के अनुसार, नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन, स्वीकृत और खाली समूह "सी" और "डी" श्रेणियों के पदों के खिलाफ अवशोषण के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, इस तरह का अवशोषण वास्तव में कभी नहीं हुआ।

ई.

एफ.

जी.

5. 1999 में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3-नगरपालिका के 16 अन्य आकस्मिक कार्यकर्ताओं के साथ ए की रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) दायर की।

एच.

429

ओम प्रकाश बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

1999 उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका को स्थायी रिक्तियों को नियमित करने और/या अवशोषित करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट की मांग करते हुए जिसमें वे आकस्मिक श्रमिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। 09.03.2000 पर, प्रत्यर्थी संख्या-3 नगर पालिका द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पिछले 3 वर्षों से उनके संतोषजनक प्रदर्शन के अनुसरण में, उन्हें रुपये के

पैमाने में प्रेषण अनुभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। 3350-6325-फरवरी, 2000 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सामान्य स्वीकार्य भत्ते। 20.06.2000 पर, उच्च न्यायालय ने 1999 की उपरोक्त रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

बी.

सी.

“1991 के सी. ओ. संख्या 9662 (डब्ल्यू) में पारित 26 सितंबर, 1996 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी नगरपालिका को स्थायी रिक्ति में अवशोषण के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किया गया और उन्हें अंततः स्थायी रिक्तियों में समाहित कर लिया गया। इस तरह के अवशोषण से पहले, याचिकाकर्ता आकस्मिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे थे। इस तरह के अवशोषण पर, याचिकाकर्ताओं को उनके स्थायी अवशोषण की तारीख से वेतन का नियमित पैमाना प्रदान किया गया है। इस तरह का स्थायी अवशोषण रिट याचिकाकर्ताओं की काफी समय तक प्रत्यर्थी नगरपालिका में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में सेवा को ध्यान में रखते हुए किया गया था और इसलिए, नियमित रिक्ति में ऐसा स्थायी अवशोषण पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियुक्ति से संबंधित नहीं था और इस तरह याचिकाकर्ता पिछली तारीख के साथ इस तरह के अवशोषण पर ऐसे स्थायी और/या नियमित पैमाने के हकदार नहीं हैं।

डी.

ई.

एफ.

यह रिट याचिका कोई विचार प्रस्तुत नहीं करती है। इसलिए मामला खारिज कर दिया जाता है।”

इसके बाद, अपीलार्थी ने स्वीकृत पदों के लिए छूट श्रेणी के तहत अवशोषण के लिए अपनी पात्रता और श्रेणीकरण सूची पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को कई पत्र और अनुस्मारक लिखे; लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

जी.

6. 15.12.2003 पर, 1999 की उपरोक्त रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) में 4 रिट याचिकाकर्ताओं सहित 60 कर्मचारियों को नियमित किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी की सेवा को नियमित नहीं किया गया है।

एच.

आज तक।08.03.2005 पर, प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका द्वारा लगभग 24 और कर्मचारियों को सेवा में नियमित किया गया था।

7. फरवरी, 2000 से, अपीलार्थी को उच्च वेतनमान और स्वीकार्य भत्ते प्राप्त हो रहे थे।लेकिन जुलाई, 2010 से भत्ते और वेतन वृद्धि बंद कर दिए गए।पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने अन्य कर्मचारियों के साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की रिट याचिका संख्या 17892 (डब्ल्यू) दायर की।दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, उक्त रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को 8 सप्ताह के भीतर नगर पालिका में याचिकाकर्ताओं के अनुमोदन के प्रश्न के संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश देकर किया गया था।

बी.

8. 08.11.2010 पर, पार्षदों के बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 76 कर्मचारियों की मंजूरी के लिए एजेंडा पर विचार किया गया।8 सप्ताह के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के एक विशिष्ट निर्देश के बावजूद, अपीलार्थी को ऐसा कोई तर्कपूर्ण आदेश नहीं भेजा गया था।पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की रिट याचिका संख्या 18281 (डब्ल्यू) दायर की।दिनांक 09.01.2012 के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 को 8 सप्ताह के भीतर लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के मामले का निपटारा करने का निर्देश देकर उक्त रिट याचिका का निपटारा किया गया था। तदनुसार, 07.03.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि क्लर्क के खाली पदों को भरने पर 1992 से पहले के आकस्मिक श्रमिकों की श्रेणीकरण सूची से अवशोषित करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।इसलिए, इसमें अपीलार्थी को नियमित सेवा में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

9. अपीलार्थी का कहना है कि 2016 तक, उन्होंने 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) में पारित उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 1 के अनुपालन के लिए कई अभ्यावेदन किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।यह आगे कहा गया है कि कुछ समान रूप से स्थित कर्मचारियों ने प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका के खिलाफ 2014 की रिट याचिका संख्या 25838 (डब्ल्यू) और 2007 की रिट याचिका संख्या 18863 (डब्ल्यू) दायर की, और उक्त रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, पंप ऑपरेटर के अतिरिक्त पद का निर्माण करके उनकी सेवाओं को नियमित किया गया।05.04.2017 पर, स्थानीय निकायों के संयुक्त निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमित करने के लिए अपीलार्थी के

अनुरोध पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा।लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एफ.

जी.

10. प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने यहाँ एक और रिट याचिका दायर की [जो रिट याचिका संख्या 31399 ए थी।

एच.

431

ओम प्रकाश बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

(डब्ल्यू) 2017 का] उच्च न्यायालय के समक्ष।04.05.2018 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित उपरोक्त तर्कपूर्ण आदेश दिनांक 07.03.2012 को देखते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।रिट याचिका खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष एक अंतर-न्यायालय अपील (2018 का एम. ए. टी. सं. 611 होने के नाते) दायर की।उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी सहित 23 कर्मचारियों की नियुक्ति की मंजूरी देने के लिए एक पत्र जारी किया।दिनांक 10.12.2019 के विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

बी.

11. यह उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ है कि अपीलार्थी ने वर्तमान दीवानी अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

12. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

प्रस्तुतियाँ:

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सूरजदिप्ता सेठ ने तर्क दिया कि अपीलार्थी 2016 और 2017 में लगातार पत्र लिख रहा था, और 1996 से 15 साल की मुकदमेबाजी के बाद भी, अपीलार्थी के अवशोषण के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, प्रत्यर्थियों ने कभी भी अपीलार्थी को नियमित सेवा में शामिल नहीं किया, भले ही उसके सह-कर्मचारी थे।इस प्रकार, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और देरी के तकनीकी आधार पर उसकी अपील को खारिज नहीं करना चाहिए था।

डी.

ई.

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी एक पूर्व-जनगणना कार्यकर्ता है जो 1981 से लगातार काम कर रहा है, यानी पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम के शुरू होने से पहले। जी. ओ. दिनांक 19.03.1996 के अनुसार, वे सभी जो 31.12.1991 से पहले लगे हुए थे और अभी भी सेवा में बने हुए हैं, वे अवशोषण के लिए पात्र हो गए, और अपीलार्थी ने भी ऐसा ही किया। विद्वान अधिवक्ता ने जी. ओ. दिनांक 21.08.2002 का भी उल्लेख किया, जो पूर्व-जनगणना कर्मचारियों को छूट वाली श्रेणी में रखता है जिसे सीधे स्थायी रक्ति में शामिल किया जाना है। इसके अलावा, जी. ओ. दिनांक 28.06.2004 में कहा गया है कि स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं के दायरे में आने वाली नियुक्तियों के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

एफ.

जी.

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी हालांकि सभी मानदंडों, छूटों को अर्हता प्राप्त करता है और अवशोषण के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, उसे दरकिनार कर दिया गया था, जबकि कई अन्य समान रूप से

एच.

432

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

नियुक्त कर्मचारियों (उनके कनिष्ठ सहित) को अवशोषित कर लिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने 1991 के सी. ओ. संख्या 9662 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.09.1996 आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपीलार्थी को स्थायी रक्ति में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, 22.01.1997 पर, उत्तरदाताओं ने 31.12.1991 से पहले लगे लोगों को नियमित करने का निर्देश दिया और वे अभी भी जारी थे। हालांकि, आदेशों के बावजूद अपीलार्थी का ऐसा अवशोषण कभी नहीं हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य को भी हमारे ध्यान में लाया कि 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 में पारित उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 1991 के उपरोक्त सी. ओ. संख्या 9662 में पारित आदेश द्वारा अवशोषण को प्रभावी बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने पिछली तारीख की नियुक्ति और बकाया की पात्रता की सीमा तक रिट याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, प्रत्यर्थियों ने इस तरह के आदेश पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया और अपीलार्थी की नियुक्ति में अत्यधिक देरी

की, साथ ही साथ अन्य आकस्मिक कर्मचारियों को भी शामिल किया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के एक विशेष समूह को राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समान लाभ देकर समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा न करना भेदभाव, मनमानेपन के बराबर होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में कई पत्रों के साथ-साथ अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका का भी उल्लेख किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3-नगर पालिका ने 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2000 को देखते हुए अपीलार्थी को शामिल कर लिया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3 नगरपालिका के अध्यक्ष का ज्ञापन भी रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें अपीलार्थी सहित 12 व्यक्तियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव था। उच्च न्यायालय ने 2010 की रिट याचिका संख्या 17892 में पारित अपने आदेश में उत्तरदाताओं की दलीलें भी दर्ज की हैं कि अपीलार्थी के समावेशन के लिए प्रस्ताव पहले से ही लागू हैं और उन्हें अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. विद्वान अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से अलग हैं

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी 1 के तथ्यों से, क्योंकि यह

जी.

ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां अनुच्छेद 14 के अनुसरण में नियमितीकरण की मांग की गई है। उसके तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता

यूपी एसईबी बनाम पूरन चंद्र पांडे 2 में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया,

जिनके तथ्य वर्तमान मामले के समान हैं। उक्त मामले में, यह

1 (2006) 4 एससीसी 1 2 (2007) 11 एससीसी 92 ए

एच.

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उमादेवी (उपरोक्त) में निर्णय को किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखे बिना यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तथ्यों में थोड़ा सा अंतर उमादेवी (उपर्युक्त) को लागू नहीं कर सकता है। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि अपीलार्थी 2021 में (30 साल की सेवा के बाद) बिना किसी लाभ के सेवानिवृत्त हुए।

17. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री आस्था शर्मा, ए. ओ. आर. ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 2017 की रिट याचिका संख्या 31399 (डब्ल्यू) को सही ढंग से खारिज कर दिया है, क्योंकि यह अपीलार्थी द्वारा 5 साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई थी, और अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया

बी.

सी.

इस न्यायालय का फैसला सुरजीत सिंह साहनी बनाम यू. पी. और अन्य राज्यों के मामले में है।
3,

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभ्यावेदन सीमा की अवधि को नहीं बढ़ाता है और व्यथित व्यक्ति को शीघ्रता से और उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता है।

18. विद्वान अधिवक्ता ने 2009 की रिट याचिका संख्या एस. टी. 483 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.08.2009 आदेश को हमारे संज्ञान में लाया। उक्त आदेश में, उच्च न्यायालय ने क्रमशः 13.08.1979, 28.08.1980 और 13.03.1996 दिनांकित नियमितीकरण परिपत्रों को संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया। इसलिए, उक्त परिपत्र कानून की नजर में मौजूद हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) में पारित अपने आदेश में सही निर्णय दिया था कि आकस्मिक श्रमिकों की स्थायी रक्तियों के अवशोषण को पूर्वव्यापी रूप से नहीं माना जाएगा और इसका केवल एक संभावित प्रभाव होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी यह साबित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने में विफल रहा कि क्या 2017 की रिट याचिका संख्या 31399 (डब्ल्यू) में पारित आदेश किसी भी विकृति से ग्रस्त है।

डी.

ई.

एफ.

19. विद्वान अधिवक्ता उमादेवी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आकस्मिक/अस्थायी/तदर्थ नियुक्त व्यक्ति

नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

जी.

“19. एक पहलू सामने आता है। जाहिर है, राज्य किसी भी सार्वजनिक रोजगार के आर्थिक विचारों और वित्तीय प्रभावों द्वारा भी नियंत्रित होता है। विभाग की व्यवहार्यता या परियोजना की साधनता भी राज्य के लिए समान रूप से चिंता का विषय है। राज्य

3 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 249

एच.

434

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

वित्तीय प्रभावों और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करें। क्या न्यायालय रोजगार में नियमितता या स्थायित्व पर जोर देकर राज्य पर इस तरह का वित्तीय बोझ डाल सकती है, जब अस्थायी रूप से कार्यरत लोगों की स्थायी या नियमित रूप से आवश्यकता नहीं होती है? उदाहरण के लिए, हम उन सभी लोगों को स्थायी रोजगार देने के लिए एक निर्देश की परिकल्पना कर सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अस्थायी रूप से या आकस्मिक रूप से कार्यरत हैं। बोझ इस तरह से इतना भारी हो सकता है कि उपक्रम स्वयं अपने वजन के नीचे गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए, न्यायालय को ऐसे निर्देशों द्वारा राज्य पर वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्देश प्रतिकूल हो सकते हैं।” विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके साथ उन लोगों के खिलाफ भेदभाव किया गया है जिन्हें नियमित रूप से भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि उमादेवी (उपरोक्त) में यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जो लोग दैनिक मजदूरी पर या अस्थायी रूप से या अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उन्हें सेवा में शामिल होने का अधिकार है। इसलिए, इस मामले में अनुच्छेद 14 और 16 का कोई उल्लंघन नहीं है।

बी.

सी.

डी.

20. विद्वान अधिवक्ता ने भी संघ में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

भारत बनाम वर्तक श्रम संघ। **4** उक्त का प्रासंगिक भाग

निर्णय को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: “17. हमारी राय है कि प्रत्यर्थी संघ का अपने सदस्यों को नियमित करने का दावा केवल इसलिए कि वे काफी समय से बी. आर. ओ. के लिए काम कर रहे हैं, इस न्यायालय के कई फैसलों के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें यह लगातार कहा गया है कि आकस्मिक रोजगार समाप्त हो जाता है जब इसे बंद कर दिया जाता है, और केवल इसलिए कि एक अस्थायी या आकस्मिक कार्यकर्ता को उसके रोजगार की अवधि से परे लगाया गया है, वह नियमित सेवा में शामिल होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया के संदर्भ में नहीं थी।”

ई.

एफ.

जी.

विश्लेषण:

21. हमने बार में आगे बढ़े प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

4 (2011) 4 एससीसी 200 ए

एच.

435

ओम प्रकाश बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

22. शुरुआत में, हम यह कहना चाहेंगे कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के घोर उल्लंघन का मामला है। अपीलार्थी, जो 1991 से प्रत्यर्थी संख्या 3-नगरपालिका में काम कर रहा है, और बाद में, 1996 में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था; उनकी सेवा में नियमित नहीं किया गया है। इसके अलावा, उनके कई सह-कर्मचारियों (कनिष्ठ सहित) को सेवा में नियमित कर दिया गया है। 1999 के रिट याचिका संख्या 19555 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.06.2000 आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अवशोषण को दिनांकित 26.09.1996 आदेश के माध्यम से प्रभावी किया गया है। उक्त रिट याचिका को पिछली तारीख की नियुक्ति और बकाया की पात्रता की सीमा तक खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थियों ने इस तरह के आदेश पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया और अपीलार्थी की नियुक्ति में अत्यधिक देरी की, साथ ही साथ अन्य आकस्मिक कर्मचारियों को भी शामिल किया। यहां तक कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में भी लिखा है कि प्रत्यर्थी संख्या 3-नगरपालिका ने 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 (डब्ल्यू) में उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.06.2000 के आदेश को देखते हुए अपीलार्थी को शामिल कर लिया है। 23. प्रत्यर्थी ने उमादेवी (उपरोक्त) निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि जो लोग दैनिक मजदूरी पर या अस्थायी रूप से या

अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उन्हें सेवा में शामिल होने का अधिकार है। उमादेवी (ऊपर) में तथ्यात्मक स्थिति के प्रासंगिक हिस्से को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

बी.

सी.

डी.

“8. कर्नाटक राज्य के कुछ जिलों में वाणिज्यिक कर विभाग में अस्थायी रूप से दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले उत्तरदाताओं का दावा है कि उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक इस तरह के कार्य के आधार पर विभाग में काम किया और इसलिए वे विभाग के स्थायी कर्मचारी बनाए जाने के हकदार हैं, जो नियमित कर्मचारियों के सभी लाभों के हकदार हैं। वे वर्षों में पहली बार 1985-86 में लगे हुए थे और इस तरह की नियुक्तियां 3-7-1984 पर जारी नहीं करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि वाणिज्यिक कर निदेशक ने उन्हें शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इन प्रत्यर्थियों ने अपने दावे के साथ वर्ष 1997 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनके दावे को यह निष्कर्ष निकालते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने नियमित रूप से कार्यरत अन्य लोगों के बराबर मजदूरी प्राप्त करने या नियमित करने का अधिकार नहीं बनाया था। इस प्रकार, दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादियों ने प्रशासनिक के फैसले को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

ई.

एफ.

जी.

एच.

436 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

न्यायाधिकरण। यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में निर्णय के लिए आने वाले प्रश्न पर वास्तव में पकड़ बनाए बिना आदेश दिया कि वे सरकारी सेवा में अपने संवर्ग के नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन और भत्तों के बराबर वेतन के हकदार हैं, जो उनकी नियुक्ति की तारीखों से प्रभावी हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसने उच्च न्यायालय के फैसले को 12 साल से अधिक समय तक पूर्वव्यापी प्रभाव दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य को उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर उनके मामलों को नियमित करने के लिए विचार करने का आदेश भी जारी

किया।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि क्या उन्हें 1-7-1984 से पहले नियुक्त किया गया था, धारवाड़ जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी संघ बनाम कर्नाटक राज्य [(1990) 2 एससीसी 396:1990 एससीसी (एल एंड एस) 274:(1990) 12 एटीसी 902:(1990) 1 एस. सी. आर. 544] और उसके तहत दिए गए निर्देश के अनुसार बनाई गई योजना, या बाद में, क्योंकि उन्होंने 10 साल की अवधि के लिए काम किया है, वे दैनिक मजदूरी पर अपनी नियुक्ति की शुरुआत से ही समान काम के लिए समान वेतन के हकदार थे और अपने पदों पर नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के भी हकदार थे।”

बी.

सी.

डी.

ई.

24. हालाँकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, अपीलार्थी को 1991 में एक आकस्मिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था।जबकि अन्य सह-कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया था, अपीलार्थी और कुछ अन्य की सेवाओं को छोड़ दिया गया था।उच्च न्यायालय ने 2010 की रिट याचिका संख्या 17892 में पारित अपने आदेश में उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों को भी दर्ज किया है कि अपीलार्थी के अवशोषण से संबंधित प्रस्ताव पहले से ही लागू हैं और उन्हें आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा गया है।इसलिए, उमादेवी (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा।

एफ.

25. अब, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 07.03.2012 के तर्कसंगत आदेश पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.08.2009 के आदेश के अनुसरण में श्रम विभाग के निर्देश (आकस्मिक कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित) को प्रभावी नहीं करने के लिए, जैसा कि दिनांकित 13.08.1979, 28.08.1980 और 13.03.1996 के परिपत्रों में सूचित किया गया है; अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ए.

जी.

एच.

यहाँ जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि, 2002 की शुरुआत में, यानी 1999 की रिट याचिका संख्या 19555 में उच्च न्यायालय का दिनांकित आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवशोषण को दिनांकित आदेश 26.09.1996 के माध्यम से प्रभावी किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थियों ने 2010 की रिट याचिका संख्या 17892 में उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी के समावेशन से संबंधित प्रस्ताव पहले से ही लागू हैं और उन्हें आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है, वर्तमान मामले में अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित नहीं करना, हमारे विचार में, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत क्रमशः स्थापित राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी 2021 में सेवानिवृत्त हो गया है।

बी.

सी.

26. यू. पी. एस. ई. बी. (उपरोक्त) के तथ्य वर्तमान मामले के समान हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

डी.

“3. रिट याचिका के माध्यम से, 34 याचिकाकर्ता जो सहकारी विद्युत आपूर्ति सोसायटी (इसके बाद "सोसायटी" के रूप में संदर्भित) के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उन्होंने यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद "बिजली बोर्ड" के रूप में संदर्भित) में अपनी सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सोसायटी को बिजली बोर्ड ने 3-4-1997 पर अपने नियंत्रण में ले लिया था। दिनांकित 3-4-1997 कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति इस अपील के लिए अनुलग्नक पी-2 है। उस कार्यवाही की अध्यक्षता सहकारी मंत्री, यू. पी. सरकार ने की थी और कार्यवाही में बड़ी संख्या में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उक्त कार्यवाही में, यह उल्लेख किया गया था कि सोसायटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है, वे बिजली बोर्ड में "उसी तरीके और पद पर" काम करना शुरू कर देंगे।

ई.

एफ.

जी.

4. उक्त कार्यवाही के अनुसरण में, यहाँ उत्तरदाताओं को विद्युत बोर्ड की सेवा में शामिल किया गया था।

5. इससे पहले, बिजली बोर्ड ने 28 11-1996 पर दैनिक वेतन के आधार पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सेवाओं को पहले 4-5-1990 से मौजूदा आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया था।

एच.

438 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

खाली पद और उस उद्देश्य के लिए चयन के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

6. रिट याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) का तर्क था कि चूंकि सोसायटी को बिजली बोर्ड द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, इसलिए बिजली बोर्ड द्वारा अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में लिया गया दिनांकित निर्णय सोसाइटी के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो पहले से ही काम कर रहे थे और जिनकी सेवाएं बिजली बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थीं और जो दैनिक वेतन के आधार पर बिजली बोर्ड के साथ काम कर रहे थे।

बी.

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 1 के फैसले में कहा कि कर्मचारियों के दो समूहों के बीच भेदभाव करने का कोई आधार नहीं है, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अर्थात्, (i) बिजली बोर्ड के मूल कर्मचारी, और (ii) सोसाइटी के कर्मचारी, जो बाद में बिजली बोर्ड के कर्मचारी बन गए जब सोसाइटी को बिजली बोर्ड द्वारा लिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विचार को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बरकरार रखा। 8. हम डिवीजन बेंच और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

सी.

डी.

9. रिट याचिकाकर्ता जो सोसायटी की सेवा में दैनिक वेतनभोगी थे, उन्हें 4-5-1990 से पहले सोसाइटी में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को बिजली बोर्ड द्वारा "उसी तरीके और स्थिति में" लिया गया था। हमारी राय में, इसका मतलब यह होगा कि सोसायटी में उनकी सेवाओं को दिनांकित 28-11-1996 के आदेश के लाभ के लिए उन पर विचार करने के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

.....

19. वर्तमान मामले में कई रिट याचिकाकर्ता 1985 से काम कर रहे हैं यानी उन्होंने लगभग 22 साल की सेवा दी है और यह निश्चित रूप से उचित नहीं होगा यदि इतनी लंबी सेवा के बाद भी उनके नियमितीकरण के दावे को अस्वीकार कर दिया जाए। इसलिए भेदभाव के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 14 का भी मनमानेपन और अनुचितता के आधार पर उल्लंघन किया जाएगा यदि इतने लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को ए के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

जी.

एच.

439

ओम प्रकाश बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल और हमारा राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

नियमितीकरण और उन्हें उसी चयन का सामना करना पड़ता है जिसका सामना नई भर्तियों को करना पड़ता है।”

27. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी मांग करते हैं कि अपीलार्थी को सेवाओं के नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जब उसके समान रूप से नियुक्त साथी कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदान किया गया है। 28. इसलिए, हम 2017 की रिट याचिका संख्या 31399 (डब्ल्यू) में उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित फैसले में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। अपीलार्थी, हमारी सुविचारित राय में, 1991 से 10 प्रतिशत के ब्याज के साथ मजदूरी और लाभ वापस प्राप्त करने का हकदार है।

बी.

सी.

29. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। 2018 के एम. ए. टी. सं. 611 और सी. ए. एन. सं. 10038/2018 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.12.2019 के विवादित फैसले को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.